न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 38/2015 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00153

उनवान

1. टुनिया पुत्र श्री हीरा जाति गूजर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर
2. जीतेन्द्र } पिसरान श्री टुनिया जाति गूजर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3. लल्लू }

.....अपीलांट।

बनाम

1. दिलीप सिंह } पिस0 श्री गोपी जाति गूजर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. अमर सिंह }

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अंतर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहा0कलक्टर, कुम्हेर दिनांक 01.04.2015 उनवानी दिलीप सिंह बनाम टुनिया मु0न0 191/2011

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 12.04.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के आदेश दिनांक 01.04.215 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 234 रकवा 18 एयर वाके ग्राम हेलक तहसील कुम्हेर में रकवा 14 विस्वा पर रैस्पो0/प्रार्थीगण बतौर गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं एवं इसी आराजी पर धूपराम बतौर गैर खातेदार रकवा 16 विस्वा पर राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं इससे रैस्पो0/प्रार्थीगण का कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट/अप्रार्थी का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। परन्तु अपीलाण्ट/अप्रार्थी ताकतवर एवं पहुँच वाले व्यक्ति हैं जो रैस्पो0/प्रार्थीगण की उक्त विवादित

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

आराजी को लट्ठ के बल पर हडपना चाहते हैं। यदि वह अपनी उक्त मंशा में कामयाब हो गये तो रैस्पो0/प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जरिये नकद संभव नहीं हो पायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी/अपीलाण्ट को जरिये हुक्म इम्तनाई पाबन्द फरमाये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से ता फैसला अन्तरिम स्थगन, विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 234 रकवा 18 एयर पर तीसो साल से कब्जा व काश्त रैस्पो0 का ना होते हुये भी अपीलाण्ट को स्थगन आदेश से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि अपीलाण्ट की बोरिंग 30 वर्ष पूर्व से लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय एफ0आर0 पर कतई गौर नहीं किया है और मनमाने तौर पर फैसला दिया है। जबकि रैस्पो0 द्वारा दर्ज कराई गई एफ0 आई0 आर0 में विवादित आराजी पर 30 वर्ष पूर्व से अपीलाण्ट का ही कब्जा पाया था और अपीलाण्ट के कोई कब्जा ना करने एवं मारपीट ना करने के कारण ही पुलिस थाना कुम्हेर ने मामले एफ0आर0 अदम वकू में दी थी। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर खातेदार अधिकार प्राप्त हो गये हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर दायरी दावा के रोज कब्जा ना होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को प्रार्थना पत्र में पाबंद करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधी अनुरूप सही है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एंव ना ही उनका कब्जा काश्त है एवं ना ही उनकी कोई बोरिंग लगी हुई है जबकि रैस्पो0 द्वारा करीब पॉच वर्ष पहले अपनी आराजी की सिंचाई हेतु बोरिंग लगाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2065–2068 के खाता संख्या 531 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 234 पर रैस्पो0 दिलीप सिंह, अमर सिंह पिसरान गोपी वतौर गैर खातेदार दर्ज हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर करीब 30 वर्ष पुराना अपना कब्जा बताते हैं। परन्तु इस तथ्य को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यदि तर्क के लिए अपीलाण्ट/अप्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा माना भी जावें, तो वह अवैध की श्रेणी मे माना जावेगा एवं अवैध

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को नियमानुसार कोई अधिकार सृजित नही होते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप योग्य गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के निर्णय दिनांक 01.04.2015 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.04.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर